606

Registered Post

Request 20

From,

Ram Prasad,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Baghpat.

No. 11205/IV-3237/Admin A-1 Dated : 06-08-2018 ~~July,~~ 2018.

Subject: Regarding medical reimbursement claims amounting Rs.21,536/-, Rs.3,022/- and Rs.58,080/- of Sri Abid Shamim, the then Civil Judge, (S.D.), Baghpat presently posted as Additional District and Sessions Judge, Baghpat incurred in the treatment of his mother for the period of treatment from 29.03.2013 till 26.10.2014, from 25.05.2016 till 29.09.2016 and from 01.06.2016 till 16.10.2016 respectively.

Sir,

with reference to endorsement nos.1761/XV dated 30.08.2017 and 493/XV dated 23.02.2018, on the aforesaid subject, I am directed to send herewith copy of Government's letter no.435/II-4-2017-53(18)/2011 dated 04.06.2018 alongwith original bills/ vouchers and other relevant papers in connection with aforesaid medical reimbursement claims of Sri Abid Shamim, the then Civil Judge, (S.D.), Baghpat presently posted as Additional District and Sessions Judge, Baghpat and to say that the Government vide aforesaid letter has relaxed non compliance of rule 11(b)/ condoned the delay in submission of the aforesaid claims. Further, under the provisions contained in rule 20 of "The Uttar Pradesh Government Servant (Medical Attendance) (First Amendment) Rules, 2014" published vide notification no.474/V-6-14-1082-87, dated 04.03.2014 whereby the sanctioning authority for working/ retired Government servant for claims amounting less than Rs.2,00,000.00 is the Head of Office, the aforesaid claims are required to be dealt at your level in the capacity of Head of Office.

I, therefore, request you to kindly take necessary action in the aforesaid matter in accordance with "The Uttar Pradesh Government Servant (Medical Attendance) (First Amendment) Rules, 2014".

Enclosures: As above

Yours faithfully,
30/7/2018
Deputy Registrar(M)

No. 11206/IV-3237/Admin A-1 Dated : 06-08-2018 ~~July,~~ 2018.

Copy forwarded for information and necessary action to Sri Abid Shamim, Additional District and Sessions Judge, Baghpat.

30/7/2018
Deputy Registrar(M)

A.R.(Admin-A1)/ D.R.(M):

Kindly see the below placed Government's letter dated 04.06.2018 regarding relaxation of rule (b) & condonation of delay in the medical reimbursement claims of Sri Abid Shamim, ADJ Baghpat amounting to Rs.21,536/-, Rs.3,022/- & Rs.58,080/- received in response to Court's letter No.6541/IV-3237/ Admin- A1 Sec. dated 24.04.2018. Since the claims amount less than Rs.2,00,000.00, the aforesaid claims are required to be sent to DJ, Baghpat for further necessary action in instant matter. Kindly see the instant draft in this regard and may like to issue with the approval of ld. Registrar(J)(B)?

Himani 26/07/2018

Registrar (J) (B) may like to approve the draft?
27/7/2018
AR

26.07.18 S.O.

Draft approved
28/07/18

संख्या–435 / दो–4–2017–53(18) / 2011टी0सी0

Request 90

Reg. No. 311
File No. IV-3237
Serial No. 157

प्रेषक,

विजय कुमार संखवार,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उप निबन्धक (एम),
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग–4

लखनऊः दिनांक 04 जून, 2018

विषय– चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों पर विलम्ब मर्षण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–6485 / IV–1260 / एडमिन.A–1 सेक्शन, दिनांक 23–04–2018, पत्र संख्या–6465 / IV–3962 / एडमिन.A–1 सेक्शन, दिनांक 23–04–2018, पत्र संख्या–6541 / IV–3237 / एडमिन.A–1 सेक्शन, दिनांक 24–04–2018, का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011,(यथासंशोधित–2014) के नियम 11(ख) एवं नियम–23 का अनुपालन न होने / दावा विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण निम्नलिखित न्यायाधीशों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे विलम्ब मर्षण / उक्त नियमों के अनुपालन के शिथिलीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये हैं :–

क्रमांक	नाम	पदनाम	धनराशि (रूपये)	चिकित्सा की अवधि
1.	श्री स्वतन्त्र सिंह	सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट, इलाहाबाद	5,299 / –	28.09.2017 से 18.11.2017 तक
2.	श्री विकार अहमद अंसारी	जिला जज, उन्नाव	11,064 / –	04.01.2016 से 20.10.2016 तक
3.	श्री आबिद शमीम	सिविल जज (एस0डी0), बागपत	21,536 / – 3,022 / – 58,080 / –	29.03.2013 से 26.10.2014 तक तथा 25.05.2016 से 29.09.2016 तक तथा 01.06.2016 से 16.10.2016

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों के प्रकरण में उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी दावों में उक्त नियमों के अनुपालन के शिथिलीकरण / प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब के मर्षण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त समस्त दावे **मूलरूप में** संलग्न कर वापस किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(विजय कुमार संखवार)
उप सचिव

16 JUL 2018

D.R.(R.R.) Admn
S.O. Admn, A1
18/7/2018

Mr. Himani
25.07.18

Registered Post

From,

Ram Prasad,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To,

The Under Secretary,
Appointment Section – 4,
Government of Uttar Pradesh
Lucknow.

Report 90

संख्या–सी– 435 /दो-4-2018

53(18)/2011 TL

Se-3

No.6541 /IV-3237/Admin A-1 Sec.   Dated 24th Apr.,2018.

Subject: Regarding relaxation of rule 11(b) (as applicable) and condonation of delay in submission of medical reimbursement claims amounting to Rs.21,536/-, Rs.3,022/- and Rs.58,080/- of Sri Abid Shamim, the then Civil Judge, (S.D.), Baghpat now Additional District and Sessions Judge, Baghpat incurred in the treatment of his mother.

Sir,

with reference to aforesaid subject, I am directed to send herewith original medical reimbursement claims amounting to Rs.21,536/-, Rs.3,022/- and Rs.58,080/- of Sri Abid Shamim, Additional District and Sessions Judge, Baghpat along with copy of endorsement nos.1761/XV dated 30.08.2017 and 493/XV dated 23.02.2018 of the District Judge, Baghpat and to say that aforesaid claims are time-barred and fail to comply with provision contained in rule 16 of "The Uttar Pradesh Government Servant (Medical Attendance) Rules, 2011". Further, there is non-compliance of rule 11(b) of aforementioned Medical Attendance Rules 2011 read with Medical Attendance (First Amendment) Rules 2014 in the claims amounting to Rs.21,536/- and Rs.3,022/-, for which the treatment was taken in private hospitals. In this regard I have to say that vide aforesaid endorsements dated 30.08.2017 and 23.02.2018, Sri Shamim has requested for obtaining necessary orders from the Government regarding condonation of delay in submission of said medical reimbursement claims under the provisions contained in rule 23 of "The Uttar Pradesh Government Servant (Medical Attendance) Rules, 2011" and relaxation of rule 11(b) under provisions contained in rule 28(b) of Medical Attendance Rules, 2011.

I, therefore, request you to kindly obtain necessary orders from the Government regarding relaxation of rule 11(b) (as applicable) and condonation of delay in submission of the aforesaid medical reimbursement claims amounting to Rs.21,536/-, Rs.3,022/- and Rs.58,080/- of Sri Abid Shamim, the then Civil Judge (S.D.), Baghpat now Additional District and Sessions Judge, Baghpat incurred in the treatment of his mother for the period of treatment from 29.03.2013 till 26.10.2014, from 25.05.2016 till 29.09.2016 and from 01.06.2016 till 16.10.2016, as per the reason and circumstances explained by him vide aforesaid endorsements dated 30.08.2017 and 23.02.2018.

Enclosures: As above

Yours faithfully,
RP 21/4/2018
Deputy Registrar (M)
21/04/18

No.   /IV-3237/Admin-A-1 Sec.   Dated: Apr., 2018.

Copy forwarded for information to Sri Abid Shamim, Additional District and Sessions Judge, Baghpat.

Deputy Registrar (M)

01/5/18

Registered Post

ब103

From,

Ram Prasad,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To,

The Under Secretary,
Appointment Section – 4,
Government of Uttar Pradesh
Lucknow.

Request-30

155 No.6541/IV-3237/Admin A-1 Sec. Dated 24th Apr.,2018.

Subject:Regarding relaxation of rule 11(b) (as applicable) and condonation of delay in submission of medical reimbursement claims amounting to Rs.21,536/-, Rs.3,022/- and Rs.58,080/- of Sri Abid Shamim, the then Civil Judge, (S.D.), Baghpat now Additional District and Sessions Judge, Baghpat incurred in the treatment of his mother.

Sir,

with reference to aforesaid subject, I am directed to send herewith original medical reimbursement claims amounting to Rs.21,536/-, Rs.3,022/- and Rs.58,080/- of Sri Abid Shamim, Additional District and Sessions Judge, Baghpat along with copy of endorsement nos.1761/XV dated 30.08.2017 and 493/XV dated 23.02.2018 of the District Judge, Baghpat and to say that aforesaid claims are time-barred and fail to comply with provision contained in rule 16 of "The Uttar Pradesh Government Servant (Medical Attendance) Rules, 2011". Further, there is non-compliance of rule 11(b) of aforementioned Medical Attendance Rules 2011 read with Medical Attendance (First Amendment) Rules 2014 in the claims amounting to Rs.21,536/- and Rs.3,022/-, for which the treatment was taken in private hospitals. In this regard I have to say that vide aforesaid endorsements dated 30.08.2017 and 23.02.2018, Sri Shamim has requested for obtaining necessary orders from the Government regarding condonation of delay in submission of said medical reimbursement claims under the provisions contained in rule 23 of "The Uttar Pradesh Government Servant (Medical Attendance) Rules, 2011" and relaxation of rule 11(b) under provisions contained in rule 28(b) of Medical Attendance Rules, 2011.

I, therefore, request you to kindly obtain necessary orders from the Government regarding relaxation of rule 11(b) (as applicable) and condonation of delay in submission of the aforesaid medical reimbursement claims amounting to Rs.21,536/-, Rs.3,022/- and Rs.58,080/- of Sri Abid Shamim, the then Civil Judge (S.D.), Baghpat now Additional District and Sessions Judge, Baghpat incurred in the treatment of his mother for the period of treatment from 29.03.2013 till 26.10.2014, from 25.05.2016 till 29.09.2016 and from 01.06.2016 till 16.10.2016, as per the reason and circumstances explained by him vide aforesaid endorsements dated 30.08.2017 and 23.02.2018.

Enclosures: As above

Yours faithfully,
RPd 20/4/2018
Deputy Registrar (M)

156 No. 6542/IV-3237/Admin-A-1 Sec. Dated: 24th. Apr., 2018.

Copy forwarded for information to Sri Abid Shamim, Additional District and Sessions Judge, Baghpat.

RPd 20/4/2018
Deputy Registrar (M)

A.R.(Admin-A1)/ D.R.(M):

Kindly see the below placed endorsements dated 30.08.2017 and 23.02.2018 of the District Judge, Baghpat regarding relaxation of rule 11(b) & delay condonation in the medical reimbursement claims of Sri Abid Shamim, the then Civil Judge (S.D.) Baghpat now ADJ, Baghpat. In the aforesaid endorsement dated it has been requested to obtain necessary orders of the Govt. of U.P. with regard to relaxation of rule 11(b) & delay condonation in the instant claim. May like to place the matter before Learned Registrar (Judicial) (Budget) for kind perusal and approval of the draft?

Himani 17/04/2018

K. Jaiswal 17.04.18 A.R.

Registrar (J) (B)
may like to approve the draft?
RPd 17/4/2018
DR

Draft approved
R(J) B
20/4/18

प्रेषक,

आबिद शमीम,
सिविल जज (सी0डि0),
बागपत।

सेवा में,

रामप्रसाद,
उपनिबन्धक (M),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वाराः— माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय बागपत।

पत्रांक— दिनांकित—

विषयः कालातीत चिकित्सीय दावे अंकन 21,536 रू0, 3022 रू0 व 58,080 रू0 पर लगायी गयी आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सादर निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 15434/IV-3237/Admin A-1 दिनांकित 12.12.2017 के द्वारा चिकित्सीय कालातीत दावे अंकन 21,536/—रू0, 3,022/—रू0 तथा 58,080/—रू0 में प्राईवेट चिकित्सालय में ईलाज कराने के संबंध में प्रतिपूर्ति नियमावली 2014 के नियम 11 (B) के अनुसार विभाग को सूचना न देने तथा आपातकालीन प्रमाणपत्र न दाखिल किये जाने के संबंध में आपत्तियॉ लगायी गयी है।

इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि अंकन 58,080/—रू0 के संदर्भ में मेरे द्वारा अपनी माता जी का ईलाज दिनांक 01.06.2016 से दिनांक 16.10.2016 तक डा0 राममनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान गोमती नगर लखनऊ में कराया गया था जोकि एक (सरकारी संस्थान) है। तथा मेरी माताजी का आकास्मिक एवं दुखद निधन दिनांक 11.11.2016 को हो गया है अतः इसके संबंध में किसी आपातकालीन प्रमाणपत्र अथवा किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है।

अंकन 21,536/—रू0 के संदर्भ में मेरे द्वारा दिनांक 29.03.2013 से दिनांक 26.10.2014 तक बाह्य रूप से अपनी माता जी का ईलाज सहारा अस्पताल लखनऊ में आपातकालीन स्थिति में कराया गया था जिसके संबंध में आपातकालीन प्रमाणपत्र दावे के साथ संलग्न किया गया है। तथा अंकन 3,022/—रूपये के संदर्भ में मेरे द्वारा अपनी माता जी का ईलाज प्राईवेट अस्पताल अल्वी ई0एम0टी0सेन्टर लखनऊ में दिनांक 25.05.2016 से 29.09.2016 तक बाह्य रूप से कराया गया था तथा जिसके संबंध में कोई

आपातकालीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। तथा उक्त दोनों के संबंध में जहाँ तक प्राईवेट चिकित्सालय में ईलाज कराने के संबंध में प्रतिपूर्ति नियमावली 2014 के नियम 11 (B) के अनुसार विभाग को सूचना न देने का प्रश्न है तो इस संबंध में यह अवगत कराना है कि मेरी माताजी का आकास्मिक एवं दुखद निधन दिनांक 11.11.2016 को हो गया था तथा जिसके कारण उक्त दिनांक से संबंधित कागजात इधर–उधर हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका था। अतः उक्त के संबंध में प्रार्थी उक्त कागज़ातों एवं उससे संबंधित सभी संबंधित सूचनाएं यथाशीघ्र उपलब्ध करा देगा।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि चिकित्सीय दावे अंकन 58,080/–रू0 का भुगतान कराये जाने हेतु उचित आदेश पारित करने की कृपा करें तथा प्रार्थी चिकित्सीय दावे अंकन 21,536/–रू0 एवं चिकित्सीय दावे अंकन 3,022/–रूपये के संदर्भ में प्रार्थी अतिशीघ्र कागजात एवं उससे संबंधित सभी संबंधित सूचनाएं यथाशीघ्र उपलब्ध करा देगा।

आख्या माननीय के समक्ष सादर प्रेषित है।

भवदीय,

दिनॉकः 21.02.2018

(आबिद शमीम)
सिविल जज (सी0डि0),
बागपत।

...न्यायाधीश बागपत
पत्रांक 493/XV दिनांक 23.02.18
अग्रसारित

जनपद–न्यायाधीश, 21/2/18
बागपत।

8683

Registered Post

From,

Ram Prasad,
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

Request 90

To,

The District Judge,
Baghpat.

153 No. 5458 /IV-3237/Admin-A-1 Sec. Dated: 31st Mar., 2018.

Subject: Regarding sanction of medical reimbursement claim amounting Rs.2,53,077/- of Sri Abid Shamim, the then Civil Judge (S.D.), Baghpat presently posted as Additional District and Sessions Judge, Baghpat incurred in the indoor treatment of his mother for the period of treatment from 07.10.2016 till 16.10.2016 at Astha Hospital, Lucknow.

Sir,

I am directed to send herewith an attested copy of Court's Order dated 07.03.2018 sanctioning thereby medical expenses claim amounting to Rs.2,53,077/- to Sri Abid Shamim, the then Civil Judge (S.D.), Baghpat presently posted as Additional District and Sessions Judge, Baghpat incurred in the treatment of his mother for the period of treatment from 07.10.2016 till 16.10.2016, along with all original bill/vouchers and other relevant papers to your facility.

I, therefore, request you to kindly take necessary action for payment of aforesaid amount to Sri Abid Shamim, Additional District and Sessions Judge, Baghpat from the District Treasury Office.

Enclosures:

1) Attested copy of Court's Order dated 07.03.2018.
2) Original medical reimbursement claim amounting to Rs.2,53,077/- of Sri Abid Shamim, Additional District and Sessions Judge, Baghpat alongwith original bills/ vouchers & other relevant papers.

Yours faithfully,
Rpd 21/3/2018
Deputy Registrar (M)

154 No. 5459 /IV-3237/Admin-A-1 Sec. Dated: 31st Mar., 2018.

Copy forwarded alongwith attested copy of Court's Order dated 07.03.2018 for information and necessary action to following :

(1) The Treasury Officer, Baghpat.

(2) Sri Abid Shamim, Additional District and Sessions Judge, Baghpat.

(3) The Deputy Registrar (Budget), High Court, Allahabad.

Rpd 21/3/2018
Deputy Registrar (M)

S.O.(Admin-A1)/ A.R. (Admin-A1)/ D.R.(M):

Kindly see the order dated 07.03.2018 placed below and may like to issue?

20/03/2018

21.03.18
A.R.

Reg. No. 20555
File No. IV/3237
Serial No. 149

प्रेषक,

आबिद शमीम,
सिविल जज (सी0डि0),
बागपत।

सेवा में,

महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:– माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय बागपत।

विषय: <u>कालातीत चिकित्सीय दावे पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सादर निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 13820/IV-3237/Admin A-1 दिनांकित 10.11.2017 के द्वारा चिकित्सीय बिल कालातीत होने की आपत्ति की गयी है। मेरे (आबिद शमीम, सिविल जज सी0डि0, बागपत) द्वारा अपनी माताजी का ईलाज दिनांक 07.10.2016 से 16.10.2016 तक बाह्य रूप से निजी चिकित्सालय आस्था अस्पताल कराया गया था। जिसमें क्रमशः अंकन 2,65858/–रू0, का व्यय हुआ तथा जिसपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा परीक्षण कर अंकन 2,53077/–रू0 की संस्तुति की गयी है। प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जनपद फतेहपुर में उक्त चिकित्सीय दावा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत कर दिया गया था।

परन्तु उक्त चिकित्सीय बिल को समयावधि के भीतर जनपद फतेहपुर से माननीय उच्च न्यायालय से प्रेषित किये जाने के कारण उक्त चिकित्सीय बिल कालातीत हो गया है।

अतः उक्त समस्त मूल दावे पर पुनः विचार किये जाने हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे है।

चिकित्सीय परिचर्या नियमावली 2011 व नियमावली 2014 के नियम 20 के अनुसार दो लाख रूपये से पॉच लाख रूपये तक की स्वीकृति विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रदान की जा सकती है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त दावे पर पुनः विचार करने हेतु प्रमुख सचिव न्याय, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

सादर,

भवदीय,

(आबिद शमीम)
सिविल जज (सी0डि0),
बागपत।

दिनॉकः 22.11.2017,

द्वारा जनपद न्यायाधीश बा.पु. 2241/IX दिनांक 24/11/17
अग्रसारित
जनपद–न्यायाधीश,
बागपत।

19 NOV 2017

6037

Registered Post

From,

Ram Prasad,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

Request 30

To,

The District Judge,
Baghpat.

150 No. 15434/IV-**3237**/Admin A-1 Dated ~~Nov.~~ 12-12- 2017.

Subject: Regarding medical reimbursement claims amounting Rs.21,536/-, Rs.3,022/- and Rs.58,080/- of Sri Abid Shamim, Civil Judge, (S.D.), Baghpat incurred in the treatment of his mother for the period of treatment from 29.03.2013 till 26.10.2014, from 25.05.2016 till 29.09.2016 and from 01.06.2016 till 16.10.2016 respectively.

'Sir,

with reference to your endorsement no.1761/XV dated 30.08.2017 on the aforesaid subject, I am directed to return herewith original medical reimbursement claims amounting Rs.21,536/-, Rs.3,022/- and Rs.58,080/-, along with its enclosures, of Sri Abid Shamim, Civil Judge, (S.D.), Baghpat and to say that aforesaid claims have been forwarded to this Court for delay condonation without your proposal for the same. Also, from the study of relevant documents submitted hereby it is perceptible that with reference to the claims amounting Rs.21,536/- and Rs.3,022/-, for which the treatment was taken in private hospitals, non-compliance of rule 11(b) in both the claims and non submission of emergency certificate, in the later, is found.

Thus, reason for non-compliance of the aforesaid rules by Sri Shamin alongwith your recommendation with proposal for delay condonation as well as the proposal for relaxation of rule 11(b) in relevant claims (in support of reason provided by Sri Shamim) is also required to be submitted.

I, therefore, request you to kindly get aforementioned formalities completed and thereafter resubmit instant medical reimbursement claims, of Sri Abid Shamim, Civil Judge, (S.D.), Baghpat amounting Rs.21,536/-, Rs.3,022/- and Rs.58,080/-, along with its enclosures, to this Court at a very early date so that further necessary action may be taken in instant matter.

Enclosures:
Original medical reimbursement claims amounting Rs.21,536/-, Rs.3,022/- and Rs.58,080/-, alongwith its encls, of Sri Abid Shamim, Civil Judge, (S.D.), Baghpat.

Yours faithfully,
Sd/- 5/12/2017
Deputy Registrar(M)

157. No. 15435/IV-**3237**/Admin-A-1 Sec. Dated: ~~Nov.~~ 12-12-2017 2017.

Copy forwarded for information to Sri Abid Shamim, Civil Judge (S.D.), Baghpat.

Sd/- 5/12/2017
Deputy Registrar(M)

S.O. (Admin-A1)/ A.R.(Admin-A1) / D.R.(M):

May like to issue with the approval of learned Registrar(J)(B)?

Himani 29/11/2017
Sd/- 29-11-17 AR

Registrar (J) (B)
May like to approve the draft?
Sd/- 1/12/2017
DR

Draft approved
Sd/- Regtry
05/12/17

8
7-9-17
one Nathi

8
4.9.17

Request 90

प्रेषक,

आबिद शमीम,
सिविल जज (सी0डि0),
बागपत।

15754
IV 3237
146
Recd 18.9.17
Recd 22/11/17
16912

सेवा में,

महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:— माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय बागपत।

विषयः कालातीत चिकित्सीय दावों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

159
5-9-17

582

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सादर निवेदन है कि मेरे (आबिद शमीम, सिविल जज सी0डि0, बागपत) द्वारा अपनी माताजी का ईलाज दिनांक 29.03.2013 से 26.10.2014 तक बाह्य रूप से निजी चिकित्सालय सहारा अस्पताल लखनऊ में तथा दिनांक 25.05.2016 से दिनांक 29.09.2016 तक बाह्य रूप से निजी अस्पताल अल्वी ई0एम0टी0 सेन्टर लखनऊ में एवं दिनांक 01.06.2016 से 16.10.2016 तक डा0 राममनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान गोमती नगर लखनऊ में बाह्य रूप से उपचार कराया गया था। जिसमें क्रमशः अंकन 25,535/–रू0, 3,022/–रू0 तथा 58,080/–रू0 का व्यय हुआ।

प्रार्थी की माताजी की तबीयत खराब होने के कारण तथा उनके ईलाज में व्यस्थ रहने के कारण प्रार्थी उक्त चिकित्सीय बिलों को समयावधि के भीतर दाखिल नहीं कर पाया जिस कारण उक्त चिकित्सीय बिल कालातीत हो गये है।

(5)
D.R.M
w.e
(1) Nath
DR(RR)Admin
SO Admin A1
Rcd 7/9/2017
DR

अतः उक्त समस्त मूल दावों पर पुनः विचार किये जाने हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे है।

चिकित्सीय परिचर्या नियमावली 2011 व नियमावली 2014 के नियम 20 के अनुसार दो लाख रूपये से पॉच लाख रूपये तक की स्वीकृति विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रदान की जा सकती है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त दावों पर पुनः विचार करने हेतु प्रमुख सचिव न्याय, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करे।

कार्यालयः जनपद न्यायाधीश बागपत
पत्रांक- 1761/XV दिनांक- 30/8/17
अग्रसारित
जनपद–न्यायाधीश,
बागपत।

सादर,

दिनॉकः 28.08.2017,

भवदीय,

(आबिद शमीम)
सिविल जज (सी0डि0),
बागपत।

Ms. Himani
23.11.17.

Request 90

सेवा में

श्रीमान् अध्यक्ष
चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति समिति
जनपद न्यायालय बागपत।

महोदय,

निवेदन है कि श्री आबिद शमीम सि0जज सी0 डि0 बागपत द्वारा अपनी माता जी के इलाज से सम्बन्धित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा बिल जो जनपद न्यायालय फतेहपुर से प्राप्त हुए है पर मेरी आख्या मांगी गयी है।

श्री आबिद शमीम द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र 15901 दिंनाकित 11.10.2014 में दी गयी तालिका के अनुसार निम्न ओपचारिकताए पूर्ण की गयी है।

1 श्री आबिद शमीम ने अपनी माता जी का इलाज प्राईवेट अस्पताल सहारा हास्पिटल लखनऊ मे दिनांक 29.03.2013 से 26.10.2014 तक वाहय रुप से उपचार कराया तथा दिनांक 29.03.2013 से 26.10.2014 तक के बिल प्रतिपूर्ति हेतू प्रस्तुत किये गये है तथा आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

2 क्रम सं0 4 व 9 के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा परिशिष्ट ग पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा दावा तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। श्री आबिद शमीम द्वारा अंकन 25535/– चिकित्सीय दावा उक्त प्रपत्र पर प्रस्तुत किया गया है तथा दावे में निर्धारित अवधि तीन माह के पश्चात बिल प्रस्तुत किये गये है।

3 क्रम सं0 5 के अनुसार दावे के साथ मूल प्रिसक्प्सिन , बिल जो डाक्टर द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। श्री आबिद शमीम द्वारा प्रस्तुत बिल , प्रमाण पत्र ए , प्रिसक्प्सिन सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किये गये है।

4 क्रम सं0 6 के अनुसार दावे को तकनीकी परीक्षण के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को प्रेषित किये जाने चाहिए। निजी चिकित्सालयों में उपचार होने पर नियम–13(क) में यथा उपबंधित संदर्भकर्ता संस्था के चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सा द्वारा तकनीकी परीक्षण किया जायेगा।मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर द्वारा तकनीकी परीक्षण करते हुए अंकन 21536/– भुगतान किये जाने की संस्तुति की है।

दावा निर्धारित अवधि के पश्चात प्रस्तुत करने पर उस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन आवश्यक होगा जो गुण दोष के आधार पर प्रतिपूर्ति का विनिश्चय करेगा।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

(signature) 10/8/17
लेखा लिपिक

Request 90

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति समिति

जनपद न्यायालय बागपत।

महोदय,

निवेदन है कि श्री आबिद शमीम सि0जज सी0 डि0 बागपत द्वारा अपनी माता जी के इलाज से सम्बन्धित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा बिल जो जनपद न्यायालय फतेहपुर से प्राप्त हुए है पर मेरी आख्या मांगी गयी है।

श्री आबिद शमीम द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र 15901 दिनांकित 11.10.2014 में दी गयी तालिका के अनुसार निम्न ओपचारिकताए पूर्ण की गयी है।

1 श्री आबिद शमीम ने अपनी माता जी का इलाज प्राईवेट अस्पताल अल्वी ई0एम0टर0 सेन्टर लखनऊ मे दिनांक 25.05.2016 से 29.09.2016 तक वाहय रुप से उपचार कराया तथा दिनांक 25.05.2016 से 29.09.2016 तक के बिल प्रतिपूर्ति हेतू प्रस्तुत किये गये है तथा निजी चिकित्सालय में उपचार कराने पर सरकारी चिकित्सालय का रेफर पत्र या आपातकालीन प्रमाण पत्र किया जाना आवश्यक हैं।कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।

2 कम सं0 4 व 9 के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा परिशिष्ट ग पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा दावा तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। श्री आबिद शमीम द्वारा अंकन 3022/– चिकित्सीय दावा उक्त प्रपत्र पर प्रस्तुत किया गया है तथा दावे में निर्धारित अवधि तीन माह के पश्चात बिल प्रस्तुत किये गये है।

3 कम सं0 5 के अनुसार दावे के साथ मूल प्रिसकिप्सन , बिल जो डाक्टर द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। श्री आबिद शमीम द्वारा प्रस्तुत बिल , प्रमाण पत्र ए , प्रिसकिप्सन सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किये गये है।

4 कम सं0 6 के अनुसार दावे को तकनीकी परीक्षण के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को प्रेषित किये जाने चाहिए। निजी चिकित्सालयों में उपचार होने पर नियम–13(क) में यथा उपबंधित संदर्भकर्ता संस्था के चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सा द्वारा तकनीकी परीक्षण किया जायेगा।मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर द्वारा तकनीकी परीक्षण करते हुए अंकन 3022/– भुगतान किये जाने की संस्तुति की है।

दावा निर्धारित अवधि के पश्चात प्रस्तुत करने पर उस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन आवश्यक होगा जो गुण दोष के आधार पर प्रतिपूर्ति का विनिश्चय करेगा।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

[signature] 8/17

लेखा लिपिक

25622

Registered Post

From,

Ram Prasad,
Deputy Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

Request 30

To,

The District Judge,
Baghpat.

147 No. 13820/IV-3237/Admin A-1 Dated : 10-11-2017

Subject: Regarding medical reimbursement claim of Sri Abid Shamim, Civil Judge (S.D.), Baghpat amounting Rs.2,65,858/- incurred over the treatment of his mother for the period from 07.10.2016 till 16.10.2016 at Aastha Hospital, Lucknow.

Sir,

with reference to your endorsement no.1760/XV dated 30.08.2017 on the aforesaid subject, I am directed to return herewith original medical claim of Sri Abid Shamim, Civil Judge (S.D.), Baghpat along-with its enclosures and to say that the aforesaid medical claim of Sri Shamim has been received to this Court on 07.09.2017 through letter dated 28.08.2017 bearing your aforementioned endorsement after lapse of almost 11 months from the date of completion of treatment i.e. 16.10.2016 where as Sri Shamim had submitted the claim to the Head of Office on 29.10.2016. It is pertinent to mention here that as per Rule 16 of The Uttar Pradesh Government Servant (Medical Attendance) Rules, 2011 *"the beneficiary shall submit the reimbursement claim in prescribed proforma as given in Appendix-C to the sanctioning authority as soon as possible but not later than three months after the completion of treatment"*.

Since in the instant matter the claim has not been received within stipulated time duration of three months to the sanctioning authority (High Court in the present case), the claim becomes time barred. As such you are requested to intimate adequate and cogent reason for not submitting the claim in time to the sanctioning authority alongwith request/ recommendation for delay condonation for further necessary action.

Encl: As above

Yours faithfully,
RPd 27/10/2017
Deputy Registrar(M)

148 No. 13821/IV-3237/Admin-A-1 Sec. Dated: 10-11-2017

Copy forwarded for information to Sri Abid Shamim, Civil Judge (S.D.), Baghpat.

RPd 27/10/2017
Deputy Registrar(M)

S.O. (Admin-A1)/ A.R.(Admin-A1) / D.R.(M):

May like to issue with the approval of learned Registrar(J)(B)?

Himani 26/10/2017 26.10.17 S.O.

K. Tausif 26.10.17 AR.

Registrar (J)(B)
may like to approve the draft ?
RPd 26/10/2017
DR

Draft approved
R.com 26/10/2017

Corp. Off. : J, 1st Floor, Sapre Court,
Joppling Road, Lucknow-01
Contact : +91-7524004990, 9415090090
E-mail : opspixelglobal@gmail.com
Website : www.pixelglobalinfra.com

Request 90

सेवा में

श्रीमान् अध्यक्ष
चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति समिति
जनपद न्यायालय बागपत।

महोदय,

निवेदन है कि श्री आबिद शमीम सि0जज सी0 डि0 बागपत द्वारा अपनी माता जी के इलाज से सम्बन्धित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा बिल जो जनपद न्यायालय फतेहपुर से प्राप्त हुए है पर मेरी आख्या मांगी गयी है।

श्री आबिद शमीम द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र 15901 दिंनाकित 11.10.2014 में दी गयी तालिका के अनुसार निम्न ओपचारिकताए पूर्ण की गयी है।

1 श्री आबिद शमीम ने अपनी माता जी का इलाज डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान गोमती नगर लखनऊ(सरकारी संस्थान) मे दिनांक 01.06.2016 से 16.10.2016 तक वाहय रुप से उपचार कराया तथा दिनांक 01.06.2016 से 16.10.2016 तक के बिल प्रतिपूर्ति हेतू प्रस्तुत किये गये है ।

2 कम सं0 4 व 9 के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा परिशिष्ट ग पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा दावा तीन माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। श्री आबिद शमीम द्वारा अंकन 58080/– चिकित्सीय दावा उक्त प्रपत्र पर प्रस्तुत किया गया है तथा दावे में निर्धारित अवधि तीन माह के पश्चात बिल प्रस्तुत किये गये है।

3 कम सं0 5 के अनुसार दावे के साथ मूल प्रिसक्रिप्सन , बिल जो डाक्टर द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। श्री आबिद शमीम द्वारा प्रस्तुत बिल , प्रमाण पत्र ए , प्रिसक्रिप्सन सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किये गये है।

4 कम सं0 6 के अनुसार दावे को तकनीकी परीक्षण के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को प्रेषित किये जाने चाहिए। निजी चिकित्सालयों में उपचार होने पर नियम–13(क) में यथा उपबंधित संदर्भकर्ता संस्था के चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सा द्वारा तकनीकी परीक्षण किया जायेगा।मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर द्वारा तकनीकी परीक्षण करते हुए अंकन 58080/– भुगतान किये जाने की संस्तुति की है।

दावा निर्धारित अवधि के पश्चात प्रस्तुत करने पर उस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन आवश्यक होगा जो गुण दोष के आधार पर प्रतिपूर्ति का विनिश्चय करेगा।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

9/1/17

लेखा लिपिक

प्रेषक,

आबिद शमीम,
सिविल जज (सी0डि0),
बागपत।

सेवा में,

महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वाराः—माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय बागपत।

विषयः चिकित्सीय प्रति—दावा का भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सादर निवेदन है कि मेरे (आबिद शमीम, सिविल जज (सी0डि0), बागपत) द्वारा अपनी माता का ईलाज निजी चिकित्सालय आस्था अस्पताल लखनऊ में दिनांक 07.10.2016 से 16.10.2016 तक भर्ती रहकर कराया गया तथा जिसमें अंकन 2,65,858/—रूपये व्यय हुआ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर द्वारा तकनीकी परीक्षण करते हुए अंकन 2,053,17/—रूपये के भुगतान करने की संस्तुति की गयी है।

चिकित्सीय परिचर्या नियमावली 2011 व नियमावली 2014 के नियम 20 के अनुसार दो लाख रूपये से पॉच लाख रूपये तक की स्वीकृति विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रदान की जा सकती है।

अतः उक्त चिकित्सीय दावे से संबंधित मूल प्रपत्र आपके कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त के संबंध में उचित आदेश पारित करने की कृपा करे।

सादर,

भवदीय,

दिनॉकः 28.08.2017,

(आबिद शमीम)
सिविल जज (सी0डि0),
बागपत।

कार्यालयः जनपद न्यायाधीश बागपत
पत्रांक 1760/XV दिनांक 30/8/17
अग्रसारित

जनपद—न्यायाधीश,
बागपत।

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 16:04:46 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad